

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-3/एच/शि.सं.व./15/2009/1508

भोपाल, दिनांक 3/05/2010

- प्रति,
1. समस्त संयुक्त संचालक,  
लोक शिक्षण, संभाग  
मध्यप्रदेश।
  2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- दिनांक 01-04-2003/01.04.2006 की स्थिति में राज्य स्तरीय शिक्षक संवर्ग की अंतिम पदक्रम सूची में नाम जोड़ने/संशोधन के लिये उपस्थिति विषयक।

संदर्भ:- कार्यालय का पत्र क्रमांक स्था.3/एच/शि.सं.व./15/09/1686 भोपाल, दिनांक 26.06.09 एवं स्मरण पत्र दिनांक 02.07.2009.

-0-

उपर्युक्त विषयांतर्गत संचालनालय द्वारा भेजे गये पत्रों का अवलोकन करें। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) आपके संभाग/जिले से संबंधित चयनित हुये लोक सेवकों की अंतिम दिनांक **(cut off date)** (संलग्न प्रपत्र अनुसार) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित समयावधि में देने संबंधी स्पष्ट निर्देश के बावजूद आज दिनांक तक आपके संभाग/जिले की जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं हो पाई है।

माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित समयावधि में न भेजना स्पष्टतः आपके द्वारा शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता प्रकट करती है। इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि चाही गई जानकारी एवं आपके जिले में **(cut off date)** के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु संबंधित वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियों और अन्य आवश्यक अभिलेख एवं साथ ही जिले में आपके द्वारा जारी की गई प्र.अ. (माध्यमिक विद्यालय)/ उच्च श्रेणी शिक्षकों की वर्ष, 2008, वर्ष, 2009 एवं वर्ष 2010 की वरिष्ठता सूची की एक प्रति/ सी.डी. में कॉपी लेकर दिनांक 05.05.2010 को संचालनालय में आयोजित बैठक में स्थापना प्रभारी के हस्ते समयावधि में कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आगामी विभागीय पदोन्नति में कोई भी पात्र शिक्षक उक्त त्रुटि के आधार पर पदोन्नति से वंचित न रह जायें।

यहाँ आपको यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि यदि इस कार्य में अब कोई भी लापरवाही सामने आती है जिससे विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका निर्धारित किया जाकर, आगामी कार्यवाही हेतु शासन की ओर प्रस्ताव भेजा जावेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार पूर्व में प्रेषित पत्र की छायाप्रति एवं प्रपत्र।

( डॉ. अवेध किशोर मिश्रा )  
संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/स्था-3/एच/शि.सं.व./15/2008/1509  
प्रतिलिपि:-


भोपाल, दिनांक 3/05/2010

1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।

2/ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।

की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

3/ सहायक संचालक, स्थापना-2(स्थानीय) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके कक्ष द्वारा पूर्व में स्थापना-3 कक्ष को **(cut off date)** अनुसार संशोधन करने के लिये भेजे गये शिक्षकों के प्रस्तावों की एक पृथक सूची पुनः उपलब्ध करावें, जिससे कक्ष द्वारा संबंधित जिलों से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय पूर्व किया जाना सुनिश्चित हो सकें।

  
संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

